न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 95/2022 बउनवानी चद्रभाल सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0म
R/o, 502 PECAN Bulding, MARIGOLD SOCIETY KALYANI NAGAR PUNE 411014
GCMS No-2022/163

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. शेरपुर,रामसिंहपुरा,खिलचीपुर,माधोसिंहपुरा,छारोदा,रावल,कुतुलपुरा,खव्वा,कुण्डेरा,भदलाव, गावों में 1995 के बाद जून,2022 तक कितने खातेदारों की भूमि को आवास प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण किया गया है उन रूपान्तरणों की मय पत्रावली साईट प्लान उपलब्ध करावे। 2. इन ग्रामों म 01 जनवरी,1999 के बाद जून,2022 तक सरकार द्वारा आबादी विस्तार हेतु जो भूमिया आवंटित की गयी है,उसका आवंटन आदेश के सम्पूर्ण दस्तावेज मय आवंटन आदेश उपलब्ध करावे। 3. 1 जनवरी,1999 से 19 जून,2022 तक उक्त गांवो मे पर्यटन ईकाई हेतु कोई व्यसायिक गतिविधि हेतु होटल रिसोर्ट गेस्ट हाउस व कोई अन्य गतिविधि जैसी की दुकान पेट्रोल पम्प आदि रूपान्तरितत की गयी भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज मय नोट शीट सहित रूपान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी मय नोटशीट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाऐ तथा साईट प्लान मे किस पर्यटन ईकाई को कितने कमरे बनवाने की अनुमति प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.1(78)सूकाअ/2022/1094 दिनांक 28.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 8316 दिनांक 29.7.22 से अवगत कराये जाने पर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 819 दिनांक 1.8.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के संबंध में अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 819 दिनांक 1.8.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि वांछित सूचना का पूर्ण [illegible] अंकित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है अपीलान्ट [illegible] मूल ही वापस भिजवाये जा चुके है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested